# विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : परिवहन

प्रश्न संख्या अतारांकित : 2138

उत्तर की तिथि : 14–03–2022

विषय : बस क्रय

प्रश्नकर्त्ता का नाम : श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)

संबंधित मन्त्री : उद्योग मन्त्री

| प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|
| क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:– (क) परिवहन निगम के डिपुओं/कलस्टर्ज में कितनी 12 मीटर बसें, कब क्रय की गई थीं व उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; ब्यौरा दें; और | | हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन एवं बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत 12 मीटर की 176 बसें वर्ष 2014– 2016 में खरीदी गई थी। इन 12 मीटर बसों के क्रय हेतु मु0 71,16,54,608. 65/– (इक्कतर करोड़ सोलह लाख चौवन हजार छः सौ आठ रूपये पैंसठ पैसे) की धनराशि व्यय की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:– |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>क्र0 सं0</td><td>12 मीटर बसों का प्रकार</td><td>बसों की संख्या</td><td>कुल मूल्य</td></tr>
<tr><td>1</td><td>900mm non AC</td><td>156</td><td>60,11,58,419.65/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>650mm non AC</td><td>16</td><td>8,56,97,021.00/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>650mm AC</td><td>4</td><td>2,47,99,168.00/-</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>176</td><td>71,16,54,608.65/-</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>(ख) सरकार इन बसों की सीटों व डीज़ल टैंक में बदलाव कर उन्हें लंबे रूट पर चलाने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?</td><td></td><td>जी नहीं। मोटर वाहन एक्ट 1988, भाग 52 के अनुसार मोटर वाहन का मालिक वाहन में इस प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता है जिससे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में निहित विवरण, वाहन निर्माता द्वारा निर्दिष्ट से भिन्न हो। 12 मीटर बसों को लंबे रूटों पर चलाने का विचार नहीं है क्योंकि ये बसें लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं हैं।</td></tr>
</table>

*****